न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रैफरेन्स संख्या 06/2022

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील दौसा जिला दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. गोपाल पुत्र सीताराम
2. जगदीश पुत्र सीताराम
3. रामचन्द्र पुत्र काल्या
4. मूलचंद पुत्र काल्या

समस्त जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

.. अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दि0 15.02.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने ग्राम उदयपुरा तहसील दौसा के आराजी खसरा नंबर 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 नदी राजस्व रिकार्ड संवत 2003 में दर्ज होने व बाद में भूमि का आवंटन होकर खातेदारी अधिकार दे देने के कारण रफैरेन्स हेतु निवेदन किया है। पूर्व में उक्त भूमि का रैफरेन्स प्रकरण सं. 32/2013 का निर्णय दिनांक 27.10.2015 को किया जाकर माननीय राजस्व मंडल, राज0 अजमेर को प्रेषित किया गया था, किन्तु रैफरेन्स के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी, नामान्तरण व फार्म सं0 3 अन्य व्यक्तियों के भिजवाये जाने से माननीय राजस्व मंडल, अजमेर के द्वारा प्रकरण का पुनः परीक्षण कराया जाकर वांछित रिकार्ड के साथ नवीनतम रैफरेन्स प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अवगत कराया कि पूर्व में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, अजमेर के उनवानी प्रकरण [illegible] बनाम शंभूदयाल के निर्णय कमांकःरैफरेन्स/एलआर/8025/2018 दौसा में निर्णय दिनांक [illegible].7.2022 के द्वारा अप्रार्थी झूमा पत्नि श्रवण व केदार पुत्र श्रवण जाति [illegible] के नाम खातेदारी भूमि खसरा नंबर 961/6 रकबा 1.00है. किस्म बारानी को नामान्तरण सं. 632 दिनांक 7.9.2022 के द्वारा सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज की जा चुकी है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत में ग्राम उदयपुरा के खसरा नंबर 640 में खातेदार जगदीश, गोपाल पि0 सीताराम हि0 1/2, रामचन्द्र, मूलख्न्द्र पि. काल्या हि. 1/2 जामि मीना निवासी उदयपुरा को खातेदार मानकार खसरा नंबर 640 का निर्णय करने हेतु नवीन रैफरेन्स पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qurmer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

रैफरेन्स संख्या 06/2022
सरकार बनाम गोपाल वगै

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की पूर्व में तलबी की जा चुकी है। इस न्यायालय द्वारा सहवन से पूर्व में उनवान जगदीश वगै0 के स्थान पर झूमा वगै0 का रैफरेन्स तैयार कर रैफरेन्स के संलग्न दस्तावेज जगदीश वगै0 का माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित कर दिया गया था।

अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकट होते है:–

1. ग्राम उदयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के साबिक खसरा नंबर 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि गै0मु0 नदी संवत 2003 में दर्ज रिकॉर्ड था। संवत 2018 में साबिक खसरा नंबर 558 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0 मु0 नदी के खसरा नंबर 202 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा नये नंबर किस्म भूमि गै0मु0 नदी एकीकरण विभाग द्वारा बनाये गये।
2. ग्राम उदयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के साबिक खसरा नंबर 202 के हाल खसरा नंबर 640 रकबा 0.30है. किस्म बारानी प्रथम संवत 2041 से 2060 में भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तन होने से जगदीश, गोपाल पि0 सीताराम, रामचन्द्र, मूलचद पुत्र काल्या जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को आवंटन किया गया। भू प्रबंध विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। वर्तमान में उक्त खातेदार काबिज काश्तकार है।
3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै0मु0 तालाब, नदी, नाले, व जलोढ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आवंटन आदेश व खातेदारी अधिकार अवैध होने से प्रभाव शून्य है।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश के अनुसार सरकार की मंशानुरूप जलोढ भूमि को पूर्व की स्थिति में लाये जाने के लिए कार्यवाही किया जाना व राज्य सरकार को ऐसे जलोढ भूमि के प्रकरणों को निरस्त कर पूर्वानुसार दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। प्रकरण रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे। संबंधित पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांकः 01.05.2023 को उपस्थित हो । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15 फरवरी 2023 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा